रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/98

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—33002/98

20547
5-11-98

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

PO. 101
K.M. 5
Deptt 31
C.P.B. 65

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 1998/आश्विन 24, 1920 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 176] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1998/ASVINA 24, 1920 [N.C.T.D. No. 270

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1998

संख्या.-एफ. 7 (150)/76-ए.एल.सी. (3)/794.—श्रमजीवी, पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 17-बी की उपधारा (1) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2/8/57-जे-2 दिनांक 14 सितम्बर, 1957 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षण अधिकारियों, श्रम अधिकारियों, सहायक श्रमायुक्तों, उप-श्रमायुक्तों, संयुक्त श्रमायुक्तों व श्रमायुक्त को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं।

निरीक्षण अधिकारियों, श्रम अधिकारियों और सहायक श्रम आयुक्तों को उनकी संबंधित पदस्थापना के जिले का क्षेत्राधिकार सौंपा जाता है। उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त और श्रम आयुक्त को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्षेत्राधिकार सौंपा जाता है।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। इसी तिथि से इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना संख्या-7(150)/76-ए.एल.सी.(3)/85 दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 रद्द समझी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के
उप-राज्यपाल के नाम एवं आदेश पर

पीयूष शर्मा, अवर सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 1998

No. F. 7 (150)/76/ALC (3)/794.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 17-B of the working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (No. 45 of 1955) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 2/8/57-J II dated the 14th September, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Inspecting Officers, Labour Officers, Assistant Labour Commissioners, Dy. Labour Commissioners, Joint Labour Commissioner and Labour Commissioner as Inspectors for the purpose of the said Act.

Inspecting Officers, Labour officers and Assistant Labour Commissioners are assigned jurisdiction in the respective district in which thery have been posted,. Deputy Labour Commissioner, Joint Labour Commissioner and Labour Commissioner are assigned jurisdiction throughout the N.C.T of Delhi.

This Notification shall come into force from the date of its issue from which date this Administration's Notification No. 7(150)/76-ALC(3)/85 dated October 10, 1983 on the subject shall stand superseded.

By Order and in the Name of Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

PIYUSH SHARMA, Under Secy (Labour)

कार्यालय उपायुक्त पुलिस : यातायात

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1998

संख्या 10365-525/याता.आ.शा. (डी-2).—क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग रोड, दिल्ली यातायात के निर्बाध प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

और क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग रोड कम चौड़ी सड़क होने के कारण संघनता की समस्या, सड़क प्रयोगकर्ताओं व निवासियों व बच्चों के जीवन को खतरे में डालने की एक बड़ी समस्या के रूप में पैदा हुई है।

अत: मैं एम.एस.[redacted]युक्त पुलिस, यातायात, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 के धारा 30 (1) जिसके अन्तर्गत मुझको अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर माल वाहक रिक्शा और हाथ से चलने वाले वाहनों/यातायात पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात 8.00 बजे तक चलने के लिए प्रतिबंधित करता हूं।

सामान्य जनता को सूचनार्थ तथा आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपयुक्तों के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

सम्बंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबन्धित संकेत को इंगित करते हुए लगायेंगे।

यह आदेश 16-10-1998 को लागू होगा। मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 16 अक्तूबर, 1998 को जारी किया ।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th October, 1998

No. 10365-525/TE (D-II).—Whereas it is necessary to ensure for the smooth flow of traffic and safety of road users at Road Shyama Prashad Mukharji Marg, Delhi,

And whereas the problem of traffic congestion/holds up at Shyama Prashad Mukharji Marg, Delhi as the road is narrow and having manifold traffic. It is necessary to regulate the movement of slow moving traffic on Delhi roads and to ensure the convenience and safety of life of residents, children and other road users.

Now, therefore I, M S. Upadhye, Dy Commissioner of Police, Traffic, Delhi in exercise of the power conferred upon me under regulation 30(1) of the Delhi control of vehicular and other traffic on road and street regulation, 1980 do hereby prohibited the plying of goods rickshaws and hand carts on Shyama Prashad Mukharji Marg from 8 AM to 11 AM and 5 PM to 8 PM.

This order shall be published for the information of the general public in the offficial gazette and by affixing a copy on the Notice Boards of the offices of all Distt DCsP and all police Stations in Delhi/New Delhi,

The concerned civic agency and road maintaining authorities shall errect the corresponding sign boards indicating the resrtiction in the area for the information and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect

Given under my hand and seal of this office on the 16th day of October, 1998.

संख्या 10526-650/याता. शाखा (डी-II).—क्योंकि हार्न बजाने की वजह से काफी शोर शराबा होता है जिससे जन साधारण कुतब इन्क्लेव एल. आई.जी., डी.डी.ए. फ्लैट्स के लोगों को असुविधा व परेशानी होती है।

और क्योंकि निम्न आय वर्ग दि.द.आ. कुतब इन्क्लेव कालोनी, दिल्ली में इस प्रकार के शोर-शराबे को घटाकर इस हार्न को रोकना बहुत आवश्यक है।

अत: मैं एम.एस. उपध्ये, उपायुक्त पुलिस यातायात, दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 (ई) के अन्तर्गत जिसका अधिकार मुझको पुलिस उपायुक्त, दिल्ली के आदेश संख्या 1433-1560/स्पेशल सैल, दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा एल.आई.जी./डी.डी.ए., कुतब एन्क्लेव दिल्ली की कालोनियां दिन के समस्त 24 घंटे के लिए हार्न बजाने पर प्रतिबन्ध लागाने का आदेश करता हूँ।

सामान्य जनता को सूचना के लिए इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों के कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा दिल्ली/नई दिल्ली के समस्त थानों के सूचना पट्टों पर इसकी प्रति चिपकाई जाएगी।

सम्बंधित सिविल एजेन्सी व सड़क रख-रखाव अथोरिटी जन-साधारण के सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पर प्रतिबंधित जगह को संकेत करते हुए लगायेंगे।

यह आदेश तत्काल लागू होगा। मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 16 अक्तूबर 1988 को जारी किया गया।

No. 10526-650/T.E.Br.(D-II).—Whereas the noise by blowing of horns causes annoyance and incovenience to the general public/residents of the area of the colony of Qutab Enclave, LIG/DDA flats, Delhi.

And whereas, it is necessary to prevent this Harm by reducing noise caused by blowing of horns in the said area of the colony of Qutab Enclave, LIG/DDA flats, Delhi.

Now, therefore, I. M. S. UPADHYE, Deputy Commissioner of Police Traffic, Delhi in exercise of powers conferred upon me under Section 29 (e) of Delhi Police Act, 1978 by the Commissioner of Police, Delhi vide his order No. 1433-1560/Spl Cell dated 7th July 1978 do hereby prohibit the blow of horns in the "Silence Zone" in the area of colony of Qutab Enclave, LIG/DDA Flats, Delhi.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on notice boards of the offices of all Districts/Units DCsP and all Police Stations, Police Posts and other offices of Delhi Police in the Delhi/New Delhi area.

The concerned civic agency and road maintaining authorities shall remove/erect the corresponding sign boards indicating the restriction of the Silence Zone in the area of the colony of Qutab Enclave, LIG/DDA Flats, Delhi as mentioned above for the information and convenience of all concerned

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 16th day of October, 1998.

संख्या 10651-800/याता.आ.शा. (डी-2).—क्योंकि हार्न बजाने की वजह से काफी शोर-शराबा होता है जिससे जन-साधारण के. और एच. ब्लाक साकेत, दिल्ली के लोगों को असुविधा व परेशानी होता है।

और क्योंकि मुक्त क्षेत्र साकेत के. और एच. ब्लाक के बीच की रोड पर वीमेन्स होस्टल के सामने इस प्रकार के शोर-शराबे को हटाकर इस हार्न को रोकना बहुत आवश्यक है।

अतः मैं एम.एस. उपाध्ये, उपायुक्त पुलिस, यातायात, दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 29 (ई) के अन्तर्गत जिसका अधिकार मुझको पुलिस उपायुक्त, दिल्ली के आदेश संख्या 1433-1560/स्पेशल सैल, दिनांक 7-7-98 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा साकेत में के. और एच. ब्लाक के बीच की रोड पर वीमेन्स होस्टल के सामने क्षेत्र में दिन के समस्त 24 घंटे के लिए हार्न बजाने पर प्रतिबन्ध लागाने का आदेश करता हूं।

सामान्य जनता की सूचना के लिए इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों के कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा दिल्ली/नई दिल्ली के समस्त थानों के सूचना पट्टों पर इसकी प्रति चिपकाई जायेगी।

सम्बंधित सिविल एजेंसी व सड़क रख-रखाव एथोरिटी जनसाधारण के सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पर प्रतिबंधित जगह को संकेत करते हुए लगायेंगे।

यह आदेश तत्काल लागू होगा। मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 16 अक्तूबर 1998 को जारी किया गया।

एम. एस. उपाध्ये, उपायुक्त पुलिस, यातायात

No. 10651-800/T.E.Br.(D-II).—Whereas the noise by blowing of horns causes annoyance and incovenience to the general public/residents of the area between K & H Block, Saket, Delhi.

And whereas, it is necessary to prevent this Harm by reducing noise caused by blowing of horns in the said area between K & H Block, Saket, Delhi.

Now, therefore, I. M S. UPADHYE, Deputy Commissioner of Police Traffic, Delhi in exercise of powers conferred upon me under Section 29 (e) of Delhi Police Act, 1978 by the Commissioner of Police, Delhi vide his order No. 1433-1560/Spl Cell dated 7th July 1978 do hereby prohibit the blow of horns in the "Silence Zone" in the area of K & H Block, Saket, Delhi.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on notice boards of the offices of all Distrcts/Units DCsP and all Police Stations, Police Posts and other offices of Delhi Police in the Delhi/New Delhi area.

The concerned civic agency and road maintaining authorities shall remove/erect the corresponding sign boards indicating the restriction of the Silence Zone in the area between K & H Block, Saket Delhi as mentioned above for the information and convenience of all concerned

This order shall come into force with immediate effect

Given under my hand and seal of this office on 16th day of October, 1998.

M S. UPADHYE, Dy Commissioner of Police, Traffic

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.